प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

रिट याचिका सिविल क्रमांक 7508/2010

जयंत किशोर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(संबंधित रिट याचिका सिविल क्रमांक 7557/2010; 7701/2010 एवं 3129/2011)

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

सही/-

श्री आर.एस.शर्मा

न्यायधीश

आदेश के लिए सूचीबद्ध करें : 30/01/2012

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायधीशगण

रिट याचिका सिविल क्रमांक 7508/2010

याचिककर्ता जयंत किशोर, उम्र लगभग 18 साल पिता श्री जानकी रमन सिंह, निवास तिवारी हॉस्टल, पोटिया चौक, जिला दुर्ग ,छत्तीसगढ़

बनाम

उत्तरवादिगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक , तकनीकी शिक्षा संचालनालय ,छत्तीसगढ़ शासन , महिला पॉलिटेक्निक परिसर, वैरन बाज़ार, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय – द्वारा कुलसचिव नॉर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8 भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

4. भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलजी , द्वारा प्रधानाचार्य, पुलगाँहा चौक , दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यू पी सी क्रमांक 7557 / 2010

याचिककर्ता 1 भेवेंद्र कुमार, पिता एम.आर. साहू, उम्र लगभग 17 साल, द्वारा पिता एम.आर. साहू,पिता बिसाहू राम साहू, उम्र लगभग 53 साल, निवासी पुरानी बस्ती खोखा, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के ज़रिए

2 प्रनर कुमार, पिता सतीश कुमार झा, उम्र लगभग 18 साल, निवासी ई डब्ल्यू एस 1373 हाउसिंग बोर्ड नंदनी रोड, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

3. हरशरण सिंह जब्बल,पिता श्री एस. हरभजन सिंह जब्बल, उम्र लगभग 17 साल, द्वारा पिता श्री एस. हरभजन सिंह जब्बल, पिता स्वर्गीय जोगिंदर सिंह

जब्बल, उम्र लगभग 45 साल, निवासी एम आई जी -1/775, हुडको भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) ।

4 अंकित कुमार मसीह, पिता अशोक कुमार मसीह, उम्र करीब 19 साल,निवास पी एच ई कार्यालय, पंचशील नगर बलौदा बाजार रायपुर, (छत्तीसगढ़).

5. सुमन कुमारी, पिता सुनील साव, उम्र करीब 17 साल, द्वारा अपने पिता सुनील साव ,पिता स्वर्गीय बिरगी साव , उम्र करीब 43 साल, निवासी तीन दर्शन मंदिर के पीछे, कैंप-I, भिलाई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

6. सुदीप्ता कुंडू पिता डी.के. कुंडू, उम्र करीब 19 साल, निवास वृंदावन कॉलोनी, डी एन के प्रेस के पीछे, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छत्तीसगढ़)

7. शेनी थॉमस पिता ए.जे. थॉमस, उम्र करीब 17 साल, द्वारा अपने पिता ए.जे. थॉमस, पिता स्वर्गीय जोसेफ , उम्र लगभग 56 साल, निवासी क्वार्टर नंबर 1-बी /1993, जमुना कोलियरी, जिला अनूपपुर, (म. प्र.)।

8. रिजु स्कारिया जॉन, पिता पी.एस. योहनन , उम्र लगभग 20 साल, निवासी पुन्नकट्टू हाउस कोड्डल, जिला- पठानमथिट्टा, केरल।

9. बिजो वर्गीस बाबू, पिता बाबू जॉर्ज , उम्र करीब 19 साल, निवासी पुलिविलायिल हाउस, चुनक्करा, जिला- अलापुझा, केरल

10 प्रिंस अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर बी , उम्र करीब 19 साल, निवासी प्रिंस विला, मारोर, पोस्ट ऑफिस-एलामन्नूर, पथनमथिट्टा, केरल।

बनाम

उत्तरवादिगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) ।

2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय – द्वारा कुलसचिव नॉर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8 भिलाई, (छत्तीसगढ़) ज़िला दुर्ग ।

3. संचालक , तकनीकी शिक्षा संचालनालय, बायरन बाज़ार, रायपुर, ज़िला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. एम.पी. क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कार्यपालक उपाध्यक्ष, कैलाश नगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, भिलाई (छ.ग.)

रिट याचिका सिविल क्रमांक 7701 / 2010

याचिककर्ता अर्पिता शुक्ला, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता श्री शेखर दत्त शुक्ला, निवासी- 2/9/185-186, नेहरू नगर, रीवा (मध्य प्रदेश)।

बनाम

उत्तरवादिगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग , डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक , तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, महिला पॉलिटेक्निक परिसर, बैरन बाज़ार, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, द्वारा कुलसचिव , नॉर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8 भिलाई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

4. श्री शंकराचार्य प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, द्वारा प्राचार्य, जुनवानी, भिलाई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सिविल क्रमांक 3129 / 2011

याचिककर्ता पूजा तिवारी, आयु लगभग 18 वर्ष, आत्मजा श्री घनश्याम तिवारी, निवासी- मांढर कॉलोनी, ग्राम टेकारी, गायत्री मंदिर के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

उत्तरवादिगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, महिला पॉलिटेक्निक परिसर, बैरन बाज़ार, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, द्वारा कुलसचिव , नॉर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8 भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

4. कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, द्वारा प्राचार्य , ग्राम टेकारी (भुरकोनी), विधानसभा के पास, जिला रायपुर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएं।

उपस्थिति:

श्री संदीप दुबे, श्री मनोज परांजपे, श्री जितेंद्र पाली और श्री वरुण शर्मा, संबंधित याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री ए. एस. कछवाहा, उप-महाधिवक्ता , राज्य और निदेशक तकनीकी शिक्षा के लिए।

श्री वाई. एस. ठाकुर, उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिवक्ता।

श्री एस.के. थॉमस, एम.पी. क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(30.01.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा पारित किया गया:

(1) चूँकि इन रिट याचिकाओं में तथ्य एवं विधि के समान प्रश्न अंतर्विनित हैं, अतः इनका निराकरण इस समान आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

(2) याचिककर्ता वे छात्र हैं, जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2010-11 में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में विभिन्न निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों (रिट याचिकाओं में उत्तरवादी क्रमांक 4) में प्रवेश दिया गया है। रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7508/2010 के याचिककर्ता को 31.07.2010 को प्रवेश दिया गया था; रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7557/2010 के याचिककर्तागण को 01.07.2010 को प्रवेश दिया गया था; रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7701/2010 के याचिककर्ता को 08.07.2010 को प्रवेश दिया गया था; और रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3129/2011 के याचिककर्ता को 10.08.2010 को प्रवेश दिया

गया था। उनका प्रवेश प्रबंधन कोटे के अंतर्गत हुआ था । सभी याचिककर्ता वे छात्र हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में शून्य या ऋणात्मक अंक प्राप्त किए थे। जब उनके फॉर्म नामांकन और विश्वविद्यालय में पंजीकरण की आगे की प्रक्रिया के लिए भेजे गए, तो विश्वविद्यालय ने याचिककर्तागण का नामांकन करने से इनकार कर दिया। यह सूचित किया गया था कि चूंकि याचिककर्तागण ने प्रवेश परीक्षा में शून्य अथवा ऋणात्मक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए वे निदेशक/अतिरिक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा, रायपुर के द्वारा जारी दिनांक 12.07.2010 और 20.08.2010 के परिपत्रों (रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7557/2010 में अनुलग्नक-पी -3 और रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7508/2010 में अनुलग्नक-पी -8) के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे। इसी कारण से याचिककर्तागण को वर्तमान रिट याचिकाएं दायर करने हेतु वाद हेतुक उत्पन्न हुआ।

(3) याचिककर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था; सभी याचिककर्ता संबंधित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे; वे बी.ई. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में अपने प्रवेश के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं; कोई भी परिपत्र नियमों के प्रावधानों को अधिभावी नहीं कर सकता है; परिपत्र याचिककर्तागण के हितों के प्रतिकूल कार्य करते हैं: इस विषय पर विधि बनाने या निर्देश जारी करने के लिए सक्षम सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए, उन्हें उन छात्रों पर बंधनकारी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जो अपने प्रवेश के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) दूसरी ओर, राज्य तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाअधिवक्ता, श्री ए.एस. कछवाहा ने इन तर्कों का विरोध किया और दिनांक 12.07.2010 एवं 20.08.2010 के परिपत्रों के साथ-साथ संचालनायल द्वारा ली गई आपत्ति का समर्थन किया। विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.एस. ठाकुर ने श्री कछवाहा के तर्क का समर्थन किया। और संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. थॉमस ने याचिककर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिकाओं के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) स्वीकृत रूप से, प्रथम वर्ष के बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने वाले नियम "छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2010" (इसके बाद 'नियम' या 'प्रवेश नियम' के रूप में संदर्भित) थे। नियम 2.4(क) के अनुसार, निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की कुल सीटों का 15% प्रबंधन कोटा सीटों के रूप में रखा गया था। नियम 2.4(क)(3) यह प्रावधान करता है कि प्रबंधन कोटे में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी प्रवेश दिया जा सकता है और उनके प्रवेश पी.ई.टी. 2010 और ए.आई.ई.ई.ई 2010 परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर होंगे तथा यह कॉलेज स्तर पर होगा। यद्यपि यह नियम प्रवेश परीक्षाओं यानी पी.ई.टी. 2010 और ए.आई.ई.ई.ई 2010 में मेरिट के आधार पर प्रवेश का प्रावधान करता है, लेकिन यह कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि प्रवेश परीक्षाओं में शून्य अथवा ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ कोटा, अन्य राज्य कोटा या नियम 2.4(क)(3) के अंतर्गत परिभाषित प्रबंधन कोटा में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(7) राज्य का पक्ष यह है कि राज्य या राज्य के अधिकारियों के पास कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति है, और दिनांक 12.07.2010 एवं 20.08.2010 के परिपत्र उक्त शक्ति के अंतर्गत जारी किए गए थे। उपरोक्त निर्देश तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए जारी किए गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) जहाँ तक सरकार या उसके कार्यपालकों द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रश्न है, निश्चित रूप से सरकार प्रशासनिक दिशा-निर्देश या निर्देश जारी करके प्रशासन चला सकती है, जब तक कि उस संबंध में कोई विधि लागू न किया गया हो। हालाँकि, मूल सिद्धांत यह है कि राज्य या उसके कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे कुछ ऐसे नियमों या विधि का उल्लेख न करें जो उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत करते हों।

(9) **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम ठाकुर भरत सिंह, ए आई आर 1967 एस सी 1170** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 162 के आधार पर, राज्य या उसके अधिकारी बिना किसी विधान के, केवल इसलिए नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति है जिस पर कार्यकारी आदेश जारी किया गया है। इसी सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतवंत सिंह साहनी बनाम डॉ. रामरत्नम, सहायक पासपोर्ट**

अधिकारी, नई दिल्ली, ए आई आर 1967 एस सी 1836 में दोहराया गया था। स्पष्ट शब्दों में यह देखा गया कि सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, यदि वह किसी व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल कार्य करता है, तो उसे किसी विधायी प्राधिकारी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

(10) वर्तमान मामले में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई नियम या विधि प्रदर्शित नहीं कर सके, जिसके आधार पर उपरोक्त परिपत्र जारी किए गए थे। इस स्तर पर, हम प्रवेश नियमों के नियम 2.11 के प्रावधानों को रेखांकित करना चाहेंगे। यह प्रावधान करता है कि केवल छत्तीसगढ़ सरकार के पास ही आवश्यकतानुसार सार्वजनिक हित में, किसी भी स्तर पर इन नियमों या प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार होगा। यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया गया था, हमने उप-महाअधिवक्ता को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा था। विद्वान उप-महाअधिवक्ता ने हमारे समक्ष क्रमांक एफ 9-12/2010/42 वाली 13 पृष्ठों की एक फाइल प्रस्तुत की है और यह कथन किया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में केवल यही एकमात्र फाइल है। उपरोक्त फाइल की अंतर्वस्तु से हम यह प्राप्त हुआ कि संचालनालय ने अन्य राज्य कोटे और प्रबंधन कोटे में प्रवेश के लिए ए.आई.ई.ई.ई. 2010 परीक्षा में 'कट-ऑफ' अंक 20 रखने का प्रस्ताव किया था, किंतु उपरोक्त प्रस्ताव को संबंधित मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके उपरांत भी, संचालनालय ने दिनांक 20.08.2010 को परिपत्र जारी कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शासन स्तर पर किसी भी निर्णय के बिना ही उपरोक्त परिपत्र जारी किया गया था। विद्वान उप-महाअधिवक्ता ने हमारा ध्यान दिनांक 12.07.2010 के परिपत्र की ओर आकर्षित किया है, जिसमें पी.ई.टी. 2010 और ए.आई.ई.ई.ई 2010 में शून्य एवं ऋणात्मक अंकों की बाधाओं का उल्लेख किया गया था। यह भी सत्र 2010-11 में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में संचालनालय द्वारा जारी किया गया परिपत्र था। उपरोक्त बाधाओं का उल्लेख परिपत्र के निर्देश क्रमांक 12 में किया गया है। विशेष रूप से निर्देश क्रमांक 12 के आधार, अर्थात् शून्य या ऋणात्मक अंकों से संबंधित निर्देश के बारे में पूछे जाने पर, विद्वान उप-महाअधिवक्ता इसके लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। वास्तव में, उपरोक्त निर्णय से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) ये रिट याचिकाएं वर्ष 2010 और 2011 में तब दायर की गई थीं जब विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त परिपत्रों के आधार पर आपत्तियां उठाई गई थीं। याचिककर्ता सत्र के प्रारंभ से ही अपना नियमित अध्ययन जारी रखे हुए हैं और उन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों के माध्यम से परीक्षाओं (तीन सेमेस्टर) में बैठने की अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। अब वे दिसंबर 2011 के माह में आयोजित तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में पहले ही सम्मिलित हो चुके हैं। अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया था कि संचालनालय द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय से केवल 13 छात्र (वर्तमान याचिककर्ता) प्रभावित हैं।

(12) **<u>मोहिनी जैन (कुमारी) बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (1992) 3 एस सी सी 666</u>** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि: "शिक्षा का अधिकार" संविधान के भाग **III** के अंतर्गत निहित मौलिक अधिकारों का सहवर्ती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो देश के शासन में मौलिक हैं, उन्हें भाग **III** के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। राज्य एक संवैधानिक अधिदेश के अधीन है कि वह ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करे जिनमें भाग **III** के अंतर्गत व्यक्तियों को प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का आनंद सभी के द्वारा लिया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत "शिक्षा के अधिकार" को वास्तविकता बनाए बिना, अध्याय **III** के अंतर्गत मौलिक अधिकार उस बड़ी आबादी की पहुँच से बाहर रहेंगे जो अशिक्षित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उन्नी कृष्णन, जे.पी. एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1993) एस सी सी 645 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यद्यपि शिक्षा के अधिकार को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में नहीं बताया गया है, फिर भी यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत 'जीवन के अधिकार' में अंतर्निहित है और उससे ही निःसृत होता है, विशेष रूप से न्यायालय द्वारा दी गई व्यापक एवं विस्तृत व्याख्या के आलोक में। शिक्षा के अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका किसी व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन के लिए मौलिक महत्व है। इस देश के नागरिकों को शिक्षा प्रदान किए बिना, संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान विफल हो जाएगा। यह तथ्य कि शिक्षा का अधिकार भाग **IV** के तीन

अनुच्छेदों—अर्थात् अनुच्छेद 41, 45 और 46 में आता है, उन पूर्वजों (संविधान निर्माताओं) द्वारा इसे दिए गए महत्व को दर्शाता है। यहाँ तक कि भाग **III** के कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 29 और 30 भी शिक्षा की बात करते हैं।

(14) अब, संविधान के छियासीवें (86वें) संशोधन द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। निश्चित रूप से, संचालनालय के उपरोक्त दोनों परिपत्र याचिककर्तागण के हितों के प्रतिकूल कार्य करते हैं क्योंकि वे उनके शिक्षा के अधिकार पर संकट उत्पन्न करते हैं। जब तक उपरोक्त परिपत्रों में निहित आक्षेपित निर्देश , जहाँ तक वे शून्य और ऋणात्मक अंकों से संबंधित हैं, किसी विधायी प्राधिकार द्वारा समर्थित नहीं होते, तब तक उन्हें याचिककर्तागण के अधिकार और हित के विरुद्ध बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमें यह नोट करना चाहिए कि वर्ष 2011-12 के प्रवेश से संबंधित नियमों, अर्थात् "छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2011" में अब नियम 2.7.1(बी) जोड़ा गया है और अब ए.आई.ई.ई.ई. 2010 परीक्षा में 10 से कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना गया है। अतः, दोनों नियमों के बीच का अंतर स्पष्ट है। पूर्ववर्ती नियम अर्थात् नियम 2010 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तथापि, बाद के नियम अर्थात् नियम 2011 में उपरोक्त प्रावधान सम्मिलित कर दिया गया है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.07.2010 एवं 20.08.2010 के परिपत्रों में निहित उपरोक्त बाधाएँ , जो याचिककर्तागण के हितों के प्रतिकूल कार्य करती हैं, किसी भी विधायी प्राधिकार द्वारा समर्थित नहीं थीं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 162 की आड़ में वैध नहीं ठहराया जा सकता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) परिणामतः, रिट याचिकाएं निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार की जाती हैं:

i. दिनांक 12.07.2010 एवं 20.08.2010 के दोनों परिपत्रों को याचिककर्तागण के विरुद्ध प्रभावहीन घोषित किया जाता है।

ii. उत्तरवादि/विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे विधि के अनुसार याचिककर्तागण का नामांकन करें।

iii. याचिककर्तागण को सामान्य रीति से बी.ई. पाठ्यक्रमों में अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

iv. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/- **सही/-**

श्री सुनील कुमार सिन्हा **श्री आर.एस.शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore